



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-15092026-276220
CG-TL-E-15092026-276220

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4866]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 2026/भाद्र 21, 1948

No. 4866]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 2026/BHADRA 21, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 10 सितम्बर, 2026

का.आ. 5056(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, तेलंगाना राज्य के यादाद्री भुवनगिरि जिले के यादगिरिगुट्टा (मंडल) के (1) गांव में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् सिकंदराबाद मंडल-सिकंदराबाद-काज़ीपेट सेक्शन-यादाद्री और बंगपल्ली स्टेशनों के बीच 251/11-13 रेलवे कि.मी. पर मौजूदा समपार फाटक सं.33 के बदले प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितप्रद कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, यादाद्री भुवनगिरि को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी राजस्व मंडल अधिकारी, यादाद्री भुवनगिरि

आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए विशेष रेलवे परियोजना तेलंगाना राज्य के यादद्री भुवनगिरि जिले के यादगिरिगुट्टा (मंडल) के (1) गांव में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् सिकंदराबाद मंडल-सिकंदराबाद-काज़ीपेट सेक्शन-यादद्री और वंगपल्ली स्टेशनों के बीच 251/11-13 रेलवे कि.मी. पर मौजूदा समपार फाटक सं.33 के बदले प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल.

क्र.सं.	सर्वेक्षण सं.	अनुमानित क्षेत्र (वर्ग मीटर में,)	अनुमानित क्षेत्र (एकड़ में,)
गांव का नाम: वंगपल्ली		मंडल: यादगिरिगुट्टा	जिला : यादद्री भुवनगिरि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गांव की साइट	4373.42	1.081
2	हड्डी रास्ता	284.67	0.070
3	163	761.29	0.188
4	171	260.13	0.064
5	169	5219.38	1.290
6	168	1880.17	0.465
7	170	2943.91	0.727
8	167	281.11	0.069
9	175	6186.60	1.529
10	174	2462.54	0.608
11	173	242.95	0.060
12	178	2783.81	0.688
13	179	1352.11	0.334
14	सड़क	2691.70	0.665
15	281	1262.78	0.312
16	280	2744.05	0.678
कुल क्षेत्र		35730.62 वर्ग मी.	8.828 एकड़.

[फा. सं. Dy. CE/C-II/SC/ROBs/LCNo.33/20A]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर/निर्माण -II

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 10th September, 2026

S.O. 5056(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for execution of the Special Railway Project namely, “Secunderabad Division – Secunderabad – Kazipet Section - Proposed Road Over Bridge in lieu of existing Level Crossing Gate No.33 at Rly KM.251/11-13 between Yadadri and Wangapalli Stations” in (1) Village in Yadagirigutta (M), Yadadri Bhuvanagiri District in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely Revenue Divisional Officer, Yadadri Bhuvanagiri in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Yadadri Bhuvanagiri shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub section (2) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of Land in Acquisition: Special Railway Project, “Secunderabad Division – Secunderabad – Kazipet Section - Proposed Road Over Bridge in lieu of existing Level Crossing Gate No.33 at Rly KM.251/11-13 between Yadadri and Wangapalli Stations” in Wangapalli Village in Yadagirigutta (M), Yadadri Bhuvanagiri District in the state of Telangana. for passenger and freight facility.

Sl. No.	Survey No.	Tentative Area (in Sq. Mtrs.,)	Tentative Area (in Acre.)
Name of the Village: Wangapalli		Mandal: Yadagirigutta	District: Yadadri Bhuvanagiri
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Village Site	4373.42	1.081
2	Haddi Rastha	284.67	0.070
3	163	761.29	0.188
4	171	260.13	0.064
5	169	5219.38	1.290
6	168	1880.17	0.465
7	170	2943.91	0.727
8	167	281.11	0.069
9	175	6186.60	1.529
10	174	2462.54	0.608
11	173	242.95	0.060
12	178	2783.81	0.688
13	179	1352.11	0.334
14	Road	2691.70	0.665
15	281	1262.78	0.312
16	280	2744.05	0.678
Total Extent :		35730.62 Sq.m	8.828 Acre.

[F. No. Dy. CE/C- II/SC/ROBs/LC No.33/20A]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II